



डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक : ९५२ / फा0सं0-499 / वि0नामित / स्था0 / DSMNRU / 2021-22

दिनांक : 09 सितम्बर, 2021

// कार्यालय आदेश //

विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा-28 में वर्णित व्यवस्थानुसार "(1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक विभाग के लिए एक विभागाध्यक्ष होंगी। (2) विभागाध्यक्षों की शक्तियाँ, कृत्य, नियुक्तियाँ और सेवा शर्तें वहीं होंगी जैसा विहित किया जाए।"

तत्क्रम में विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2009 के अध्याय-5 में विभागों के अध्यक्ष की नियुक्ति के सम्बन्ध में धारा-5.05 से 5.09 में दी गई व्यवस्था एवं मा0 कार्य परिषद की 34वीं बैठक दिनांक 02.09.2021 के कार्यवृत्त पत्रांक 938 / फा0सं0-36(षष्ठम) / डीएसएमएनआरयू / कार्यपरिषद / 2021-22, दिनांक 08.09.2021 के बिन्दु सं0-9 / 34 में लिए गये निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत शिक्षकवृन्द को तालिका में नाम के सम्मुख निम्नानुसार 03 वर्ष हेतु विभागाध्यक्ष इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से नियुक्त किये जाने का निदेश हुआ है :-

| क्र.सं. | विभाग का नाम | नियुक्ति / नामित विभागाध्यक्ष |
|---------|---------------------------------------|---|
| 1. | अंग्रेजी | डॉ0 कविता त्यागी, एसोसिएट प्रोफेसर, अंग्रेजी |
| 2. | इतिहास | डॉ0 आलोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास |
| 3. | राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन | डॉ0 आशुतोष पाण्डेय, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र |
| 4. | दृष्टि बाधितार्थ | डॉ0 आद्या शक्ति राय, एसोसिएट प्रोफेसर, दृष्टि बाधितार्थ |
| 5. | श्रवण बाधितार्थ | डॉ0 मृत्युञ्जय मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, श्रवण बाधितार्थ |
| 6. | वाणिज्य | डॉ0 पुष्पेन्द्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य |
| 7. | बौद्धिक अक्षमता (मानसिक मंदितार्थ) | कोई प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त न होने के कारण विशेष शिक्षा संकाय के अधिष्ठाता द्वारा अग्रिम आदेशों तक उक्त विभाग का कार्य देखा जायेगा। |

इन विभागाध्यक्षों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं प्रथम परिनियमावली में दी गयी संगत व्यवस्थाओं के अधीन अपने-अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार विभागाध्यक्षों का कार्यकाल इस कार्यालय आदेश के निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष तक के लिए प्रभावी होगा। इस दायित्व के लिए विभागाध्यक्षों को किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन, भत्ते अथवा मानदेय आदि देय नहीं होगा।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. समस्त संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
4. कुलानुशासक / परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. सम्बन्धित एसोसिएट प्रोफेसरगण, विश्वविद्यालय।
7. सम्बन्धित विभाग के समस्त शिक्षकवृन्द।
8. समस्त अधिकारीगण।
9. विश्वविद्यालय की वेबसाइट हेतु।
10. सम्बन्धित की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
11. गार्ड फाइल।

(बृजेन्द्र सिंह)
सहायक कुलसचिव